INDIAN EXPRESS GROUP

THE LATEST TRENDS IN BUSINESS

THE LATEST TRENDS IN TRENDS

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी कटरा खुदागंज-शाहजहाँपुर।

पत्रांकः C2855A /क्षे0पं0/नि0का0/नि0 प्रकाशन/2025-2026 दिनांकः 15.12.2025

शुद्धिपत्र

आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19.12.2025 को जनसत्ता (लखनऊ) अखबार में एक अल्पकालीन निविदा सूचना प्रकाशित की थी जिसके पंचम राज्य वित से स्वीकृत कार्य में क्रमांक नं. 15 और 18 पर दो बार प्रकाशित हो गया है अतः क्रमांक नं. 15 को यथावत पढ़ा जाए एवं क्रमांक नं. 18 पर कार्य का नाम ग्राम पंचायत जलालपुर में मस्जिद वाली पुलिया से ख्लिलन प्रधान के घर तक इंटरलॉकिंग तथा नाली का निर्माण कार्य पढ़ा जाये शेष विवरण समान रहेंगे।

खण्ड विकास अधिकारी
कटरा खुदागंज, शाहजहांपुर।

हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167-169, 2री मंजिल, अन्ना सलई, सैदापेट, चेन्नई झ 600015; शाखा कार्यालयः 2री मंजिल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. - टीसी/जी-2/2 और टीसी/जी-5/5 साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010 ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

आरएलएम - ब्रजेश अवस्थीः 9918301885 | सीएलएम - राहुल सिंहः 9997535262
आरआरएम - पुष्कर अवस्थीः 9453043399 | सीआरएम - चंदन कुमार गोस्वामीः 9838518098

भौतिक कब्जा सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का सं. 3) के अंतर्गत हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली,2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर मांग सूचना जारी कर ऋणधारको (इसके बाद ऋणधारको और गारंटर को सामूहिक रूप से "ऋणधारको" कहा गया है) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की प्रत्येक खाते के सामने दर्शाई गई तिथियों को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा संविदात्मक दर पर ब्याज और आकस्मिक खर्चों, लागतों, शुल्कों, आदि के लिए हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्र सं	ऋण खाता सं/ऋणधारको/ गारंटर के नामः	मांग सूचना तिथि / कब्जा की तिथि	कुल बकाया राशि
1	UP/LKW/LKNW/A000000986; श्री पंकज कुमार, पुत्र - गयाप्रसाद, श्रीमती लक्ष्मी, विजय कुमार, निवासीः मकान नं. 237, त्रिलोकपुर सदरपुर, सीतापुर, सदरपुर, उत्तर प्रदेश - 261201,मोबाइलः 8920786558	16-जनवरी-2025 / 22.12.2025 भौतिक	रू. 14,04,625/- 09.01.2025 तक साथ ही आगे का शुल्क और ब्याज

संपत्ति का विवरणः प्लॉट नं. 8, जो खसरा नं. 940 का हिस्सा है, अमराई गाँव, वार्ड शहीद भगत सिंह, लखनऊ, उप-रजिस्ट्रार तृतीय (3rd) लखनऊ में स्थित, कुल क्षेत्रफलः 1400 वर्ग फुट; सीमाएंः उत्तरः मकान नं. 9, दक्षिणः प्लॉट नं. 7, पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः विजय कुमार का मकान

दिनांकः 27.12.2025, स्थानः लखनऊ — अधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सेवा गृह ऋण लिमिटेड — मांग सूचना

Sitara

कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः बिल्डिंग नं. 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम 122002

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3(1) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित

नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी है | प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") से आह्वान किया गया है कि वे उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाएं, जो नीचे भी दी गई हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता(ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, नीचे दर्शाई गई राशि, साथ ही उक्त मांग सूचना(ओं) में वर्णित अतिरिक्त ब्याज, नीचे उल्लिखित तिथि(ओं) से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय है। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** के पास बंधक रखा गया है।

क्र. सं.	ऋण खाता नं./ कर्जदार/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
1.	ऋण खाता संख्या : L1CP000005012817 1. श्रीमति बिन्द्रा देवी, पति श्री कमलेश 2. श्री कमलेश, पिता श्री झगरु 3. श्री वकील गोंड, पिता श्री फुलबदन गोंड	20.12.2025 ₹ 8,93,508.21 (आठ लाख तिरानवे हजार पाँच सौ आठ रूपये एवं इक्कीस पैसे) दिनांक 19.12.2025 तक
	सुरक्षित आस्तियों का विवरण (अचल सम्पत्ति) : आराजी नंबर 111 ग्राम/मोहल्ला- सोनबरसा परगना- शाहजहापुर **तहसील-हटा और जिला-कुशीनगर उत्तर प्रदेश, चौहद्दीः- पूर्व-** रामरती देवी का घर, **पश्चिम-** डोनर की खुली भूमि, **उत्तर-** 9 मीटर कम चकमार्ग, **दक्षिण-** संजीव विश्वकर्मा का घर	
2.	ऋण खाता संख्या : LAP100002444 1. श्रीमती किरण राजभर, पति श्री दिनेश कुमार 2. श्री दिनेश कुमार, पिता श्री छोटे लाल 3. श्री राकेश कुमार, पिता श्री छोटे लाल 4. श्रीमती सावित्री, पति श्री राम स्वरूप	20.12.2025 ₹ 1,76,462.57 (एक लाख छिहत्तर हजार चार सौ बासठ रूपये एवं सत्तावन पैसे) दिनांक 19.12.2025 तक
	सुरक्षित आस्तियों का विवरण (अचल सम्पत्ति) : अराजी नं 237 ग्राम खोरा कछार, कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, **चौहद्दीः- पूर्व** - 10 फुट रोड, **पश्चिम** - नाला खुली जमीन, **उत्तर** - अराजी का भाग, **दक्षिण** - अन्य की जमीन	

यदि उक्त उधारकर्ता **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** अधिनियम की धारा 13(14) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर कार्यवाही करेगा, उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन के लिए उकसाएगा, अधिनियम के अधीन कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः उत्तर प्रदेश, दिनांकः 26.12.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, सेवा गृह ऋण लिमिटेड

ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड

(पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध)

Truhome FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : श्रीनिवास टावर, प्रथम तल, डोर नंबर 5, पुराना नंबर 11, दूसरी लेन, सेनाटोफा रोड, अलवरपेट, तेयनामपेट, चेन्नई-600018
प्रधान कार्यालय : लेवल 3, वोकहार्ट टावर्स, ईस्ट विंग सी-2, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
वेबसाइट : http://www.truhomefinance.in

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से प्रसिद्ध) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें नीचे तालिका में वर्णित कर्जदारों से उक्त मांग सूचनाओं में वर्णित बकाया राशि चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16-12-2025 को नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ट्रूहोम फाइनैसस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड) की नीचे वर्णित बकाया राशि + ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार का नाम और पता

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी सूरज पाल शर्मा (कर्जदार)
श्री सुधीर कुमार शर्मा पुत्र श्री सूरज पाल शर्मा (सह-कर्जदार)
पता :- संगम विहार कालोनी, एटा रोड, टूंडला, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश)-283204.

मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि

मांग सूचना तिथि - 11-10-2025
ऋण खाता संख्या **SBTHAGRA0000149** और **STUHAGRA0000152** के संबंध में 09-10-2025 तक रु. 3,22,069/- (रूपये तीन लाख बाईस हजार उनहत्तर मात्र) तथा 09-10-2025 तक रु. 5,96,572/- (रूपये पांच लाख छियानवे हजार पांच सौ बहत्तर मात्र) + संविदात्मक दर पर आगे ब्याज, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति -1 : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट के रूप में अचल सम्पत्ति, मनकी मड़ैया, तहसील टूंडला, जिला फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) सम्पत्ति का क्षेत्रफल-83.07 वर्ग मीटर, चौहद्दी :- उत्तरः- किशन शर्मा का प्लॉट
दक्षिणः- शुक्ला जी का प्लॉट पूर्वः- रास्ता 15 फीट, पश्चिमः रास्ता 15 फीट,

स्थान : फिरोजाबाद — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी- ट्रूहोम फाइनैंस लिमिटेड
तिथि : 23-12-2025 — (पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से मशहूर)

प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड

Protium

(पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से विदित)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय का पता : 7वां तल, ब्लॉक बी2, फेज-I, निर्लोन नॉलेज पार्क पार्क, पहाड़ी गांव, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, कामा औद्योगिक एस्टेट, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063, महाराष्ट्र

सार्वजनिक सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के अंतर्गत) वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस की प्रतिस्थापित तामील

एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि चूंकि उन्होंने प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और उससे पहले ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विदित) से लिए गए ऋण की चुकौती में चूक की है, इसलिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उनके ऋण को एनबीएफसी के बहीखातों में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद, एनबीएफसी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित उधारकर्ताओं को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उनसे संबंधित मांग नोटिस/नोटिसों में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस/नोटिसों की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का आह्वान और मांग की गई है, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में है, साथ ही नीचे उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर पर ब्याज और उक्त मांग नोटिसों में उल्लिखित आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि का भी भुगतान करने का आह्वान किया गया है। हालांकि, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, हम इस प्रकाशन के माध्यम से भी तामील कर रहे हैं।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या / उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	एनपीए की तिथि	मांग सूचना तिथि
		निम्न तिथि के अनुसार कुल बकाया राशि (आईएनआर)	
1.	**ऋण खाता संख्या : GS092MF02275295,** ऋणकर्ता - व्हिज मोल्ड्स, इसके स्वामी के माध्यम से हिमांशु वर्मा पुत्र नंद लाल वर्मा, पता :- 76 ए दादा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश 208022 सह-ऋणकर्ता/गण : 1. मीरा वर्मा, 2. हिमांशु वर्मा, पता :- 38 1 जीटी रोड आजाद नगर कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश 208017	09.12.2025	12.12.2025
		रु. 26,25,817.34/- (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार आठ सौ सत्रह और चौंतीस पैसे मात्र) **दिनांक 12.12.2025 के अनुसार**	
	प्रतिभूत परिसंपत्तियों/गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरणः- आपूर्तिकर्ता/ओईएम का नाम : ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, विवरण : ज्योति मेक सीएनसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर मॉडल आरडीएक्स30, मित्सुबिशी कंट्रोलर और सभी मानक सहायक उपकरणों और विद्युत उपकरणों सहित। प्रमात्रा : 1 सेट। इनवॉइस संख्या एवं दिनांक : एसएम/23-24/2112 दिनांक 03.09.2024			
2.	**ऋण खाता संख्या : GS093EEL2466839** ऋणकर्ता - बाबू जी ट्रेडर्स, इसके प्रोप्राइटर शाहबाज खान पुत्र जुबैर खान के माध्यम से, पताः- 193/95 सी चकिया जी टी बी नगर करेली, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211016, सह-उधारकर्ता/गण, **1.** जुबेर खान, **2.** सिराज खान, **3.** नियाज खान, **4.** दिलशाद खान, **5.** शगुफ्ता परवीन, **6.** शगुफ्ता परवीन, **7.** मोहम्मद ताज खान, **8.** शाहबाज खान, **9.** साद खान, **पता :-** 193/95 सी चकिया जीटीबी नगर करेली, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211016 (जुबेर खान, नियाज खान, शाहबाज खान), **पता यहां पर भी :** 19 के/8 ए कंध्याई पुर रोड हरवारा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211016 (सिराज खान), **पता यहां पर भी :** 149 ए/2/353 चकिया इलाहाबाद जीटीबी नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211016 (दिलशाद खान, साद खान), **पता यहां पर भी :** 193/95 चकिया जीटीबी नगर करेली, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211016 (शगुफ्ता परवीन), **अन्य पता यहां पर भी :** 153/75 बी चकिया इलाहाबाद जीटीबी नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211016 (शगुफ्ता परवीन, मोहम्मद ताज खान)	01.12.2025	09.12.2025
		रु. 21,26,820.77/- (रुपये इक्कीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ बीस और सतहत्तर पैसे मात्र) **दिनांक 09.12.2025 के अनुसार**	

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण :- साद खान/दिलशाद खान की संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश जो मकान संख्या 149ए/2 (नया) और 353 (पुराना), मोहल्ला चकिया, क्षेत्रफल 505.31 वर्ग गज या 424.50 वर्ग मीटर, जो परगना सदर, तहसील सदर, जिला प्रयागराज में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैः पूर्वः कौशल किशोर कुलश्रेष्ठ की संपत्ति, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः हरीश चंद्र अस्थाना और अन्य की संपत्ति, दक्षिणः बलराम सिंह की संपत्ति, साथ ही इससे जुड़े सभी अन्य अधिकार, भवन, सुधार और उससे जुड़े सुखाधिकार।

हम एतद्द्वारा उपरोक्त उधारकर्ता से इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग नोटिसों में उल्लिखित बकाया राशि, ब्याज सहित, साथ ही लागत, शुल्क, व्यय आदि का भुगतान करने का आह्वान करते हैं। ऐसा न करने पर हमें उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्ति/अचल संपत्ति के विरुद्ध बिक्री की कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जिसमें उक्त उधारकर्ता/उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के पूर्ण जोखिम पर सुरक्षित परिसंपत्ति पर कब्जा करना और उसे बेचना शामिल है, जिसका खर्च और परिणाम आपको स्वयं वहन करना होगा।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध हैं। आपके द्वारा उक्त धारा का उल्लंघन करने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अनुसार, यदि प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम विदित) के सभी बकाया, लागत, शुल्क और व्यय सहित, बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से विदित) को प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सुरक्षित परिसंपत्ति को प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से विदित) द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में ग्रोथ सोर्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से विदित) द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनाँक : 27-12-2025, स्थान : उत्तर प्रदेश, — हस्ता./-, कृते प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी

एन्कोर एसेट रीकन्ट्रक्सन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

earc

5वां तल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर-44 I, गुड़गांव-122002, फोनः 0124-4527200

नियम 8(1) कब्जा सूचना

जबकि,
वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) के अधिकृत अधिकारी और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.04.2021 को एक मांग नोटिस जारी किया गया था जिसमें, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता सिद्धार्थ सिंह, मंजू सिंह को नोटिस में बताई गई रकम 07-04-2021 तक 19,46,338.59/- रुपये (उन्नीस लाख छियालीस हजार तीन सौ अड़तीस रुपये और उनसठ पैसे मात्र) के साथ वास्तविक भुगतान/वसूली होने तक भविष्य के ब्याज को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया है।

यह कि, 30-11-2025 तक कुल बकाया राशि **रु.21,10,803.02 (इक्कीस लाख दस हजार आठ सौ तीन रुपये और दो पैसे मात्र)**है और इस पर संविदात्मक दरों पर ब्याज भी देय है, जिसमें भुगतान और/या वसूली की तिथि तक हुए और बाद में लगने वाले आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि शामिल हैं।

और चूंकि, एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) ने 24-09-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **(एसएआरएफएएसआई अधिनियम, 2002)** की धारा 5 के तहत उत्पन्न उधारकर्ता की वित्तीय परिसंपत्तियों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त कर लिए हैं।

उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटीकर्ता और बंधककर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए एनकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस 22.12.2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटीकर्ता और बंधककर्ता तथा आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन करने पर 30-11-2025 को देय राशि **21,10,803.02 (इक्कीस लाख दस हजार आठ सौ तीन रुपये और दो पैसे मात्र)के साथ, 01-12-2025** से वास्तविक पुनर्भुगतान/प्राप्ति तक, यदि कोई हो, पुनर्भुगतान/प्राप्ति के समायोजन के बाद एनकोर एआरसी के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट संख्या 8-बी, खसरा संख्या 28, ग्राम बेहासा वार्ड, राजा बिजली पासी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226020, क्षेत्रफल- 1000 वर्ग फुट (अर्थात 92.94 वर्ग मीटर) वाली सम्पत्ति का सभी टुकड़ा एवं अंश, उत्तर प्लॉट समिति, दक्षिण प्लॉट समिति, पूर्व अराजी दिगर, पश्चिम मार्ग (15 फुट चौड़ा), श्री मान सिंह के कानूनी वारिसों के स्वामित्व वाली संपत्ति।

हस्ताक्षर/-
दिनांकः 22.12.2025, — श्री राहुल कुमार शर्मा (अधिकृत अधिकारी),
स्थानः लखनऊ — एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

एन्कोर एसेट रीकन्ट्रक्सन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

earc

5वां तल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर-44 I, गुड़गांव-122002, फोनः 0124-4527200

नियम 8(1) कब्जा सूचना

जबकि,
वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) के अधिकृत अधिकारी और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.01.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया गया था जिसमें, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता निखार सोनी, कंचन सोनी को नोटिस में बताई गई रकम 20-01-2024 तक 16,23,333.27/- रुपये (सोलह लाख तेईस हजार तीन सौ तैंतीस रुपये और सत्ताईस पैसे मात्र)के साथ वास्तविक भुगतान/वसूली होने तक भविष्य के ब्याज को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया है।

और जबकि, एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) ने उधारकर्ता की वित्तीय परिसंपत्तियों में समनुदेशक के सभी अधिकार, शीर्षक और हित अर्जित कर लिए हैं, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 5 के तहत दिनांक 30.06.2025 के समनुदेशन समझौते के तहत समनुदेशक द्वारा उत्पन्न किए गए हैं।

यह कि, 30-11-2025 तक कुल बकाया राशि 20,62,310.97 रुपये (बीस लाख बासठ हजार तीन सौ दस सत्तानवे पैसे मात्र) है और इस पर संविदात्मक दरों पर ब्याज भी देय है, जिसमें भुगतान औरध्या वसूली की तिथि तक हुए और बाद में लगने वाले आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि शामिल हैं।

और चूंकि, एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) ने 24-09-2025 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (एसएआरएफएएसआई अधिनियम, 2002) की धारा 5 के तहत उत्पन्न उधारकर्ता की वित्तीय परिसंपत्तियों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित प्राप्त कर लिए हैं।

उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटीकर्ता और बंधककर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए एनकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस 23.12.2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं, गारंटीकर्ता और बंधककर्ता तथा आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन करने पर 30-11-2025 को देय राशि 20,62,310.97/- रुपये (बीस लाख बासठ हजार तीन सौ दस और सत्तानवे पैसे मात्र) के साथ, 01-12-2025 से वास्तविक पुनर्भुगतान/प्राप्ति तक, यदि कोई हो, पुनर्भुगतान/प्राप्ति के समायोजन के बाद एनकोर एआरसी के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ग्रामः ताउधकपुर, परगना और तहसीलः कानपुर सदर, जिलाः कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208002 में स्थित निजी प्लॉट संख्या 06, अराजी संख्या 66 के जुज भाग का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः 5.48 मीटर सड़क, पश्चिमः दिगर अराजी, उत्तरः जुज भाग अराजी, दक्षिणः प्लॉट संख्या 05, श्रीमती कंचन सोनी के स्वामित्व में है।

हस्ताक्षर/-
दिनांकः 23.12.2025 — श्री सौमित्र आचार्य (अधिकृत अधिकारी)
स्थानः कानपुर — एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

earc

5वीं मंजिल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर-44 गुरुग्राम-122002 फोनः 0124-4527200

परिशिष्ट IV (नियम 8 (1) देखें) कब्जा सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अंतर्गत एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम3 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 17-06-2024 जारी कर ऋणधारको , सह-ऋणधारको, गारंटर और बंधककर्ता मोहम्मद वासिफ एवं मोहम्मद अनवर सिद्दीकी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि 17-06-2024 तक रु. 11,04,435.78 (ग्यारह लाख चार हजार चार सौ पैंतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) के साथ वास्तविक भुगतान तक अनुबंधात्मक दर पर ब्याज वापस लौटने का निर्देश दिया थो

दिनांक 30-11-2025 तक कुल बकाया राशि रु 13,99,017.85 (तेरह लाख निन्यानवे हजार सत्रह रुपये और पचासी पैसे मात्र) है, साथ ही उक्त राशि पर आगे का अनुबंधात्मक दर से भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि, जो भुगतान या वसूली की तिथि तक देय होंगे।

और जैसाकि, एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 5 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ निष्पादित असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 24-09-2025 के माध्यम से उक्त बैंक द्वारा ऋणधारको को दिए गए वित्तीय ऋण के सभी अधिकार, टाइटल और हित प्राप्त कर लिए हैं।

ऋणधारक,सह-ऋणधारक, गारंटर और बंधककर्ता इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा एनकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारक को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 22-12-2025 को प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक,सह-ऋणधारक, गारंटर और बंधककर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 30-11-2025 तक की राशि रु 13,99,017.85 (तेरह लाख निन्यानवे हजार सत्रह रुपये और पचासी पैसे मात्र) और उस पर 01-12-2025 से वास्तविक पुनर्भुगतान/वसूली तक अनुबंधात्मक दर से ब्याज, की गयी वसूली को समायोजित करने के बाद ,यदि कोई हो, के लिए एनकोर एआरसी के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक, गारंटर/सह-ऋणधारक/सह-आवेदक और बंधककर्ता का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरणः

प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 194 मिन. के आवासीय भाग का वह पूरा हिस्सा और खंड, क्षेत्रफल 111.524 वर्ग मीटर अर्थात 1200 वर्ग फीट जो मोहल्ला गेंदखाना, वार्ड हुसैनाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226003 में स्थित है, के आवासीय भाग का वह पूरा हिस्सा और खंड, जिसकी सीमाएं निम्नवत हैंः पूर्वः अन्यों का मकान, पश्चिमः 15 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः अन्यों का मकान, दक्षिणः प्लॉट नं. 1 का हिस्सा; मालिकः मोहम्मद वासिफ

दिनांकः 22.12.2025 — हस्ता./-
स्थानः लखनऊ — श्री राहुल कुमार शर्मा (अधिकृत अधिकारी)
एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

earc

5वीं मंजिल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर-44 | गुरुग्राम-122002 फोनः 0124-4527200

परिशिष्ट IV (नियम 8 (1) देखें) कब्जा सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अंतर्गत एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 16.10.2024 जारी कर ऋणधारको , सह-ऋणधारको, गारंटर और गिरवी रखने वाले संगीता बाला एवं शानल आनंद को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि 15.10.2024 तक रु. 18,50,079.83 (रुपये अठारह लाख पचास हजार उनासी और तिरासी पैसे मात्र)) के साथ वास्तविक भुगतान तक अनुबंधात्मक दर पर ब्याज वापस लौटने का निर्देश दिया थो

दिनांक 30-11-2025 तक कुल बकाया राशि रु. 21,38,726.88 (रुपये इक्कीस लाख अड़तीस हजार सात सौ छब्बीस और अठासी पैसे मात्र) है, साथ ही उक्त राशि पर अनुबंधात्मक दर से भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि, जो भुगतान या वसूली की तिथि तक देय होंगे।

और जैसाकि, एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 5 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ निष्पादित असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 24-09-2025 के माध्यम से उक्त बैंक द्वारा ऋणधारको को दिए गए वित्तीय ऋण के सभी अधिकार, टाइटल और हित प्राप्त कर लिए हैं।

ऋणधारक,सह-ऋणधारक, गारंटर और बंधककर्ता इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा एनकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारक को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 22-12-2025 को प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक,सह-ऋणधारक, गारंटर और बंधककर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 30-11-2025 तक की राशि रु. 21,38,726.88 (इक्कीस लाख अड़तीस हजार सात सौ छब्बीस और अठासी पैसे मात्र) और उस पर 01-12-2025 से वास्तविक पुनर्भुगतान/वसूली तक अनुबंधात्मक दर से ब्याज, की गयी वसूली को समायोजित करने के बाद ,यदि कोई हो, के लिए एनकोर एआरसी के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक, गारंटर/सह-ऋणधारक/सह-आवेदक और बंधककर्ता का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरणः

प्लॉट नं. 21, क्षेत्रफल 1500 वर्ग फिट अर्थात 139.40 वर्ग मी, जो खसरा नं. 312 का मिंजुमला है जो सेमरा गौढ़ी योजना के अंतर्गत, परगना, तहसील और जिलाः लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226013 के अंतर्गत स्थित है, का यह पूरा हिस्सा और खंड जिसकी सीमाएं निम्नवत हैं: पूर्वः प्लॉट नं. 20, पश्चिमः प्लॉट नं. 22, उत्तरः प्लॉट नं. 16, दक्षिणः रास्ता 15 फीट चौड़ा; मालिकानः संगीता बाला

दिनांकः 22.12.2025 — हस्ता./- श्री राहुल कुमार शर्मा (अधिकृत अधिकारी)
स्थानः लखनऊ — एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

earc

5वीं मंजिल, प्लॉट नं. 137, सेक्टर-44 गुरुग्राम-122002 फोनः 0124-4527200

परिशिष्ट IV (नियम 8 (1) देखें) कब्जा सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अंतर्गत एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002के नियम3 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 22-03-2025 जारी कर ऋणधारको, सह-ऋणधारको, गारंटर और बंधककर्ता मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद सद्दीक, सकीना सिद्दीक को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त मांग सूचना में वर्णित राशि 21.03.2025 तक रु. 8,29,335.74 (आठ लाख उनतीस हजार तीन सौ पैंतीस रुपये और चौहत्तर पैसे मात्र) के साथ वास्तविक भुगतान तक अनुबंधात्मक दर पर ब्याज वापस लौटने का निर्देश दिया था।

दिनांक 30-11-2025 तक कुल बकाया राशि रु. 8,84,636.01 (आठ लाख चौरासी हजार छह सौ छत्तीस रुपये और एक पैसा मात्र) है, साथ ही उक्त राशि पर अनुबंधात्मक दर से भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि, जो भुगतान या वसूली की तिथि तक देय होंगे।

और जैसाकि, एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनकोर एआरसी) ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) की धारा 5 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ निष्पादित असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 24-09-2025 के माध्यम से उक्त बैंक द्वारा ऋणधारको को दिए गए वित्तीय ऋण के सभी अधिकार, टाइटल और हित प्राप्त कर लिए हैं।

ऋणधारक,सह-ऋणधारक, गारंटर और बंधककर्ता इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा एनकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारक को सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम,2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक 22-12-2025 को प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक,सह-ऋणधारक, गारंटर और बंधककर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय 30-11-2025 तक की राशि रु. 8,84,636.01 (आठ लाख चौरासी हजार छह सौ छत्तीस रुपये और एक पैसा मात्र) और उस पर 01-12-2025 से वास्तविक पुनर्भुगतान/वसूली तक अनुबंधात्मक दर से ब्याज, की गयी वसूली को समायोजित करने के बाद ,यदि कोई हो, के लिए एनकोर एआरसी के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक, गारंटर/सह-ऋणधारक/सह-आवेदक और बंधककर्ता का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

भूमि का प्लॉट, क्षेत्रफल 126.486 वर्ग मी., खसरा नं. 12 का हिस्सा जो फरीदीपुर, वार्ड-कन्हैया माधवपुर, जिलाः लखनऊ, उत्तर प्रदेश-227107 में स्थित है के का पूरा हिस्सा और खंड, जिसकी सीमाएं निम्नवत हैं: पूर्वः आराजी कल्लू, पश्चिमः खान दरगाही, उत्तरः 6 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः आराजी गंगादीन; मालिकानः श्रीमती सकीना

दिनांकः 22.12.2025 — हस्ता./-
स्थानः लखनऊ — श्री राहुल कुमार शर्मा (अधिकृत अधिकारी)
एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited — Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए ई-नीलामी- अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 | दूरभाष : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. टीसी/जी-2/2. और टीसी/जी-5/5, कार्यालय संख्या -307 और 308, तीसरी मंजिल, वाणिज्यिक परिसर, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010,
उत्तर प्रदेशशाखा कार्यालयः दूसरी मंजिल, तुलसी कॉम्प्लेक्स, सी-19/134, एम-बी, शास्त्री नगर, सिगरा, वाराणसी- 221010 उ.प्र., दूरभाष :- 0542- 2221218, ईमेलः varanasi@pnbhousing.com

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कॉलम नं.-अ में अंकित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभावित कॉलम डी में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कॉलम नं.- C में वर्णित है) मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है, जो है यही है और जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जाएगी।

एतद्वारा अब तक संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के तहत कॉलम नं.-A में अंकित कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(यों), विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), एक्जीक्यूटरी, प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), संबंधित कर्जदारों/बंधककर्ता(ओं) (मृतक) के एसाइनी(यों), जैसा मामला हो, को एतद्वारा सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल), प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.pnbhousing.com देखें।

ऋण सं./ कर्जदार/ सहकर्जदार/ जमानती(यों)/ विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (A)	मांगकृत राशि तथा तिथि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	बंधक सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (आरपी का 10%)(F)	संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि (G)	संविदा वृद्धि दर (H)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/ कोर्ट केस, यदि कोई (K)
H0U/VAR/0123/1071995 ओम प्रकाश खरवार, लक्ष्मी खरवार, शा.का. वाराणसी	रु. 26,82,926.22 तथा 14-07-2025	भौतिक कब्ज़ा	आराजी नंबर 4 पर स्थित खुला प्लॉट मौजा करवत, परगना राल्हूपुर, तहसील मुगलसराय, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत, 232101, क्षेत्रफल - 2100 वर्ग फीट, सीमाएं इस प्रकारः उत्तरः आराजी का हिस्सा, दक्षिणः आराजी का हिस्सा, पूर्वः श्रीराम और अन्य की भूमि, पश्चिमः रास्ता 20 फीट चौड़ा	रु. 34,81,000	रु. 3,48,100	29.01.2026	रु. 10,000	15-01-2026, 10.00 बजे पूर्वा.- 5.30 बजे अप.	30-01-2026, 02:00 बजे अप.- 03:00 बजे अप.	ज्ञात नहीं
HOU/LUC/0916/316434 केतन त्रिपाठी, श्रीमती साधना त्रिपाठी, शा.का. लखनऊ	रु. 27,08,621.50 तथा 16-05-2024	भौतिक कब्ज़ा	7डी/डी2-106, चालान नंबर- 140, सरयू टाइप-ए(2बीएचके), सरयू एन्क्लेव, अवध विहार योइना। सेक्टर 70, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत-226021	रु. 35,28,000	रु. 3,52,800	29.01.2026	रु. 10,000	15-01-2026, 10.00 बजे पूर्वा.- 5.30 बजे अप.	30-01-2026, 02:00 बजे अप.- 03:00 बजे अप.	ज्ञात नहीं
HOU/LUC/0515/219826 राकेश कुमार, स्व. श्रीमती रामकली शा.का. लखनऊ	रु. 11,43,551.35 तथा 20-12-2024	भौतिक कब्ज़ा	प्लॉट नंबर 3ए, खसरा नंबर 126, मल्हौर पुर, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, 242223	रु. 14,76,000	रु. 1,47,600	29.01.2026	रु. 10,000	15-01-2026, 10.00 बजे पूर्वा.- 5.30 बजे अप.	30-01-2026, 02:00 बजे अप.- 03:00 बजे अप.	ज्ञात नहीं

* साथ ही 18% की दर से यथाप्रयोज्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि जो भुगतान तथा/अथवा उसकी वसूली की तिथि तक हुए हैं। ** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान में कॉलम सं. K में प्रकटित को छोड़कर उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत आस्तियों के सन्दर्भ में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं। पुनः ऐसे ऋण भार सफल क्रेता/संविदाकार द्वारा अपने दायित्व पर दिये/अदा किये जायेंगे। सम्भावित क्रेता(ओं)/संविदाकारों से उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता स्वतन्त्र रूप से सुनिश्चित करने का निवेदन है।

1. अब तक उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, एलिनिएट करने तथा/अथवा निस्तारण से पीएनबी एचएफएल/पीएनबी एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी को प्रतिबन्धित करने का कोई आदेश तथा/अथवा कोर्ट इंजक्शन नहीं है।
2. सम्भावित क्रेता/संविदाकार तथा इच्छुक पार्टियां पीएनबी एचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व के दस्तावेजों से सम्बन्धित या स्वामित्व सहित कॉलम-K में उल्लिखित कार्यवाही/पारित आदेश आदि में मुकदमे से सम्बन्धित स्वतन्त्र निरीक्षण कर सकती हैं और अपनी निविदा/संविदा आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव करने से पूर्व सभी पक्षों में स्वयं को सन्तुष्ट कर सकती हैं। संविदाकार(रों) को संविदा प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के सन्दर्भ में संविदाकार/क्रेता बिक्री मूल्य का 25% (जमा धरोहर राशि, यदि कोई हो, सहित) उसी दिन या या अधिकतम अगले दिन जमा करने के लिए बाध्य होगा। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य के 25% राशि की प्राप्ति के बाद ही संविदाकार(रों) के पक्ष में पुष्टि की जायेगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% राशि बिक्री की पुष्टि पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस राशि को जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति/प्रतिभूति आस्ति की पुनः बिक्री की जायेगी।
4. मैसर्स 4क्लोजर ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 605 ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038, वेबसाइट - www.bankauctlons.com पर है। संपत्ति के निरीक्षण या संविदा दस्तावेज प्राप्त करने से संबंधित सहायता और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आप पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति श्री सूर्यकुमार मिश्रा, अमित कुमार सिंह टोलफ्री नं. 1800 120 8800, ई-मेल : auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय कर सकते हैं या www.pnbhouslng.com का सन्दर्भ लें।

स्थान : लखनऊ, वाराणसी तिथि : 25.12.2025 — ह./- अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड